समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला प्रोग्राम शाखा)

पालनाघर (समाहरणालय परिसर)

E-mail- dpoicdsaurangabad@gmail.com   Mobile No :- 9431005027

विज्ञापन संख्या–01 / 2025

प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के पत्रांक–WCDC / 1882 / 23 दिनांक–09.08.2023 द्वारा **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना** के अंतर्गत पालनाघर का संचालन किया जाना है। वर्तमान में समाहरणालय परिसर, औरंगाबाद में पालनाघर के संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका के कंडिका–10 एवं 11 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कर्मियों (श्रमवल) के चयन प्रक्रिया की जा रही है।

पालना घर के संचालन हेतु स्वीकृत श्रमबल का चयन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी की गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार, पटना के उक्त पत्र में पालनाघर के संचालन हेतु **क्रेच वर्कर** एवं **सहायक क्रेच वर्कर** का **एक–एक** पद स्वीकृत है। उक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

स्वीकृत रिक्त पदों के लिए अर्हताएँ एवं नियोजन हेतु योग्यता निम्नवत् होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता / अर्हत्ताएं / अनुभव	मानदेय	अभ्युक्ति
1.	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	**शैक्षणिक योग्यता–** स्नातक उतीर्ण । **अनुभवः**–बच्चों के साथ किसी भी संस्थान /स्कूल /आँगनबाड़ी /प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य का 03 साल का अनुभव । **उम्र–** न्यूनतम–21 वर्ष, अधिकतम–40 वर्ष।	14,730.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।
2.	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01	**शैक्षणिक योग्यता**–बारहवी पास अथवा इंटरमीडिएट । **अनुभवः**– बच्चों की देख–रेख संबंधित कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जायेगी। **उम्र–** न्यूनतम–18 वर्ष, अधिकतम–40 वर्ष।	11,640.00 प्रति माह	पद संविदा आधारित है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संलग्न विहित प्रपत्र (PDF फॉर्मेट) में स्वअभिप्रमाणित सभी अनुलग्नकों के साथ ईमेल आई0डी0– **palnaghar.aurangabadbihar@gmail.com** पर भेज सकते है।

आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. आवेदन केवल ईमेल आई0डी0 के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
2. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– **17 / 05 / 2025** अपराह्न **5:00** बजे तक स्वीकार किया जाएगा। इस तिथि और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी का चयन हेतु अधिकतम **कुल 100 अंक** निर्धारित किया गया है।

   क्रेच वर्कर :– निर्धारित शैक्षणिक योग्यता स्नातक में प्राप्त अंको के आधार पर कुल अधिकतम 60 अंक दिये जायेंगे। अंको की गणना स्नातक में प्राप्त अंकों के समानुपातिक किया जायेगा। 03 वर्ष निर्धारित कार्य अनुभव के पश्चात् अगले प्रत्येक एक वर्ष के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 15 अंक दिये जायेगें तथा साक्षात्कार के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है।

   सहायक क्रेच वर्कर :– निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट में प्राप्त अंको के आधार पर कुल अधिकतम 60 अंक दिये जायेगें। अंको की गणना इंटरमीडिएट में प्राप्त अंको के (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) समानुपातिक किया जायेगा। प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक एवं अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे तथा साक्षात्कार के लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है।

Scanned with OKEN Scanner

4. निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आई0डी0 एवं जिला के बेबसाईट पर दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

5. अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा– शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अंक पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/डाईविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड) का एक छाया प्रति को स्वअभिप्रमाणित करते हुए आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

6. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा गठित चयन समिति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन को रद् करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पूर्णतः संविदा आधारित पद है। जिस पर एक वर्ष क लिये नियोजन किया जायेगा। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के लिये अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीकरण/सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर/योजना से प्राप्त आवंटन/योजना अवधि या उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जायेगा।

9. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्यानुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

10. उक्त पद हेतु सभी प्रकार की योग्यता के लिए Cutt of Date - 01-01-2025 होगी।

11. मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

12. मानदेय का भुगतान विभागीय प्राप्त आवंटन एवं दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

13. अंतिम रूप से नियोजन का निर्णय महिला एवं बाल विकास निगम, औरंगाबाद द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर होगा।

14. चयन से संबंधित विभागीय प्रावधान एवं आवेदन का प्रारूप, अन्य सूचना की जानकारी NIC औरंगाबाद जिले के वेबसाईट https:// aurangabad.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट :– केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी है।

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

160

आवेदन–प्रपत्र

विज्ञापन संख्याः–............................ अनुलग्नक–3

स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद का नामः ....
2. अभ्यर्थी का नामः ....
3. जन्म तिथि : ....
4. माता का नामः ....
5. पिता/पति का नामः ....
6. आधार कार्ड नंबरः ....
7. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ): ....
....
8. पत्राचार का पताः ....
....

9. श्रेणीः सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ अन्य ☐

10. मोबाईल नंबरः ....
11. ई–मेल आईडीः ....
12. शैक्षणिक विवरणीः–

क्र.सं.	शिक्षा	विषय	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
(i)	मैट्रिक					
(ii)	इंटर					
(iii)	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
(iv)	स्नातकोत्तर					
(v)	पीएचडी/अन्य					
(vi)	कंप्यूटर योग्यता					
(vii)	व्यवसायिक प्रशिक्षण					
(viii)	अन्य					

13. कार्य अनुभव :–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष/माह/दिन	कार्य विवरणी
(i)				
(ii)				
(iii)				

14. संलग्न किये गये कागजातों की सूची :–

(i)		(vi)	
(ii)		(vii)	
(iii)		(viii)	
(iv)		(ix)	
(v)		(x)	

घोषणाः–उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी एवं मेरे विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांकः–

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner